न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्रावली–पत्र संख्या :–161 / 2017 दायर दिनांकः 01.09.2017

CCMS NO:- 2017/00251

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

सुन्दरलाल पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. अजोध्या बाई पुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामस्वरूपपुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. ब्रह्मानन्दपुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. आशारामपुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. हंसराजपुत्र केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. राजकुमारपुत्र केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. ममता पुत्री केसरा हाल पत्नी नामालूम निवासी चन्दवाड तहसील देवली जिला टोंक।
8. पूजा पुत्री केसरा जर्ये संरक्षक भाई हंसराज जाति मीणानिवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. धनराज पुत्र सुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. सत्यनारायण पुत्र सुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. रामसागरपुत्र सुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. फूला पुत्रीसुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. भूरी पुत्रीसुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. मथरी पुत्रीसुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. संतोषी पुत्रीसुखपालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. गीताबाई पत्नीरामसागरजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
17. शिमला पत्नी मोतीलालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
18. प्रहलाद पुत्र बजरंगलालजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
19. जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
20. गीताराम पुत्र रामरतन जर्ये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
21. त्रिलोक पुत्र रामरतन जर्ये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
22. पार्वतीपुत्री रामरतन जर्ये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
23. लक्ष्मीपुत्री रामरतन जर्ये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
24. कमला पत्नी रामरतनजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
25. मोजीराम पुत्र गिरिराजजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
26. गणेश पुत्र गिरिराजजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
27. मीना पुत्री लोडक्याजाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
28. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए, 188 आर.टी एक्ट

–प्रतिवादीगण–

–प्रति–
...र्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 26.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई पटवार मण्डल देई तहसील नैनवां में वादी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 1469 के खसरा संख्या 3993 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 3993 में जाने का रास्ता ग्राम देई से मेंढकपुरा जाने वाले आम रास्ते से कटकर खसरा संख्या 3940 के सहारे होता हुआ खसरा संख्या 3944 जो गै0 मु0 सिवायचक नाडी है के सहारे होता हुआ खसरा संख्या 3980 व 3943 के बीच की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 3981 व 4016 के बीच की मेड पर होता हुआ 3984, 3985, 3991, 3992 की दक्षिणी मेड पर होता हुआ अर्थात खसरा संख्या 4015, 4012, 4011 की उत्तर दिशा की ओर होता हुआ वादी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 1469 के खसरा संख्या 3993 तक पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 6 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से कांटेदार तारों की बाड लगाकर बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि वादी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण के खातेदारी कृषि भूमि में कभी भी वादी का रास्ता नही रहा है। परिशिष्ट अ वादी ने न्यायालय में झुठा नक्शा बनाकर पेश किया है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रतिवादीगण द्वारा दक्षिणी मेड पर आराजी खसरा संख्या 3981 में श्री महादेवजी के चबूतरे का नया निर्माण किया हुआ है। जिसके अनुसार वादी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 3981, 3984, 3985, 3991, 3992 व 4823/3992 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 3981 में से रकबा 132 फीट • 15 फीट = 1980 वर्गफीट = 0.0128 है0, खसरा संख्या 3984 में से रकबा 211 फीट • 15 फीट = 3165 वर्गफीट = 0.0294 है0, खसरा संख्या 3985 में से रकबा 224 फीट • 15 फीट = 3360 वर्गफीट = 0.0312 है0, खसरा संख्या 3991 में से रकबा 165 फीट • 15 फीट = 2475 वर्गफीट = 0.0230 है0, खसरा संख्या 3992 में से रकबा 198 फीट • 15 फीट = 2970 वर्गफीट = 0.0276 है0 तथा खसरा संख्या 4823/3992 में से रकबा 92 फीट • 15 फीट = 1380 वर्गफीट = 0.0128 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डोटेड कर दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 16710 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.1552 है0 है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट देई में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में वादी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम देई पटवार मण्डल देई तहसील नैनवां में वादी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 1469 के खसरा संख्या 3993 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 3981 में से रकबा 132 फीट • 15 फीट = 1980 वर्गफीट = 0.0128 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

संख्या 3984 में से रकबा 211 फीट • 15 फीट = 3165 वर्गफीट = 0.0294 है0, खसरा संख्या में से रकबा 224 फीट • 15 फीट = 3360 वर्गफीट = 0.0312 है0, खसरा संख्या 3991 में से रकबा फीट • 15 फीट = 2475 वर्गफीट = 0.0230 है0, खसरा संख्या 3992 में से रकबा 198 फीट • 15 फीट = 2970 वर्गफीट = 0.0276 है0 तथा खसरा संख्या 4823/3992 में से रकबा 92 फीट • 15 फीट = 1380 वर्गफीट = 0.0128 है0 भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डोटेड लाइन से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 16710 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.1552 है0 है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा वादी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner